E-mail: director@cbseacademic.in
Website: www.cbseacademic.in

Tel: 011-23212603
23211576
Tele Fax: 011-23234324

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
शिक्षा सदन, 17, इन्सटिट्यूशनल क्षेत्र, राउज एवेन्यु, दिल्ली–110002.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
"Shiksha Sadan", 17, Institutional Area, Rouse Avenue, Delhi-110002

CBSE/PSA /Dir/(Art & I)/2013/ **दिनांकः 29 मई, 2013**

परिपत्र संख्या–Acad. 36/2013

बोर्ड से संबद्ध सभी
विद्यालयों के प्रमुख

विषयः शीतकालिक अवकाषीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र (2013–14) के लिए ''समस्या समाधान आकलन'' (PSA) का संचालन

प्रिय प्रधानाचार्य,

आपको विदित हैं कि बोर्ड द्वारा पिछले शैक्षणिक सत्र में 16 फरवरी, 2013 को कक्षा IX एवं XI के छात्रों के लिए ''समस्या समाधान आकलन'' (PSA) का संचालन किया गया था। प्राथमिक रूप से इसका लक्ष्य छात्रों के तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक कौशल, चिंतन कौशल एवं अन्य उच्चस्तरीय मानसिक कौशलों का आकलन करना था। अत्यधिक ठण्ड़ के कारण जनवरी और फरवरी के दौरान शीतकालिक अवकाशीय विद्यालय बंद थे, जिसके कारण इन विद्यालयों मे यह परीक्षा संचालित नहीं की जा सकी थी। इस संबंध में, 3 मई, 2013 को, स्वतंत्र रूप से सभी शीतकालिक अवकाशीय विद्यालयों को एक सूचना भेजी गई थी।

शैक्षणिक वर्ष 2013–14 के लिए 'समस्या समाधान आकलन' इन शीतकालिक अवकाशीय विद्यालयों में, अलग से, 19 अक्टूबर, 2013 (शनिवार) को संचालित की जाएगी। इस परीक्षा की प्रमुख विशेषताएँ निम्नांकित हैं :–

- यह कक्षा IX एवं XI के सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा।
- इसमें 60 अंक की MCQ प्रकार के 60 प्रश्न होंगे
- इस परीक्षा के लिए कोई विशिष्ट पाठयक्रम नहीं है। यह जीवन–कौशलों से संबंधित निम्नांकित तत्वों का आकलन करेगा :–
  - भाषाई व्यवहार
  - गुणात्मक व्यवहार
  - परिमाणात्मक व्यवहार
- इन इकाईयों में रचनात्मक चिंतन कौशल, निर्णय–क्षमता, समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान और संप्रेषण कौशलों जैसे 21 वीं सदी के कौशलों का आकलन किया जाएगा, जो छात्रों की उच्चतर शिक्षा के साथ–साथ उनके वास्तविक जीवन परिस्थितियों में अधिकाधिक सफलता के लिए अनका

मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये इकाईयाँ छात्रों के पूर्व विषय–ज्ञान का आकलन करने की अपेक्षा केवल उनकी, जानकारियों को संसाधित करने, व्याख्या करने तथा उपयोग करने की योग्यता का आकलन करेंगी।

- भाषा के आकलन में वे प्रश्न शामिल होंगे, जो सदर्भ एवं अनुच्छेद सम्पूर्ति में व्याकरण, प्रयुक्ति एवं शब्दावली का आकलन करेंगे।
- ये इकाईयाँ अँग्रेजी के साथ–साथ हिन्दी में भी तैयार की जाएँगी।
- PSA का अंक, कक्षा IX के कुल आकलन का 10% है जो FA4 के स्थान पर गिना जाएगा। यह अंक एक भाषा (हिन्दी या अँग्रेजी), गणित, विज्ञान एवं समाज–विज्ञान में समान रूप से दर्शाया जाएगा। कक्षा XI के छात्रों को इसके लिए अलग से एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
- कक्षा X एवं XII के वे सभी छात्र (जो कक्षा IX एवं XI में पढ़ते हुए पिछले सत्र की PSA परीक्षा में शामिल हुए थे) जो PSA के अंकों में सुधार करना चाहते हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। इससे संबंधित जानकारी, 2014 की वार्षिक परीक्षा के लिए जमा की जाने वाली उम्मीदवारों की सूची के साथ स्पष्ट रूप से दर्शायी जा सकती है।
- PSA में उपस्थित होने वालों के लिए अलग से कोई पंजीकरण नहीं होगा।

यदि किसी भी तरह के स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो विद्यालय डॉ॰ साधना पाराशर, निदेशक (ART & I) से sadhnap.cbse@nic.in पर तथा श्री आर पी शर्मा सलाहकार से science.cbse@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

आपसे आग्रह है कि आप सभी संबंधितों तक इस जानकारी को प्रसारित करें।

शुभकामना के साथ

साधनापाराशर

डॉ॰ साधना पाराषर
प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)

निवेदन के साथ, सभी निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के प्रमुखों को, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विद्यालयों को सूचना देने के लिए प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 18–इन्स्टिट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली –110016.
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, ए-28, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली.
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, नई दिल्ली.–110054
4. निदेशक, सार्वजनिक निर्देश (विद्यालय), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर–9, चंडीगढ़–160017.
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, अरूणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111.
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह सरकार, पोर्ट ब्लेयर–744101.

8. राज्य शिक्षा संस्थान, के॰मा॰शि॰बो॰ कक्ष वी॰आई॰पी॰ मार्ग, जंगली घाट, पी॰ओ॰–744103, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह।
9. केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, एस॰एस॰ प्लाज़ा, सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर–3, रोहिणी, दिल्ली–110085.
10. शिक्षा अधिकारी / सह–शिक्षा अधिकारी, शैक्षणिक विभाग, के॰मा॰शि॰बो॰
11. अनुसंधान अधिकारी (तकनीकी) को इस परिपत्र को के॰मा॰शि॰बो॰ की वेबसाइट पर डालने के अनुरोध के साथ।
12. पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, के॰मा॰शि॰बो॰
13. अध्यक्ष, के॰मा॰शि॰बो॰ के कार्यकारी सचिव
14. सचिव, के॰मा॰शि॰बो॰ के डेस्क अधिकारी / निजी सहायक
15. परीक्षा नियंत्रक, के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
16. निदेशक (शैक्षणिक) के॰मा॰शि॰बो॰ के निजी सहायक
17. संयुक्त सचिव, (संयुक्त प्रवेश परीक्षा), के निजी सहायक
18. विभाग अध्यक्ष, (एडुसैट) के निजी सहायक
19. जन संपर्क अधिकारी के॰मा॰शि॰बो॰, के निजी सहायक
20. के॰मा॰शि॰बो॰ के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने–अपने क्षेत्र के सभी संबद्ध विद्यालयों के प्रमुखों को भिजवा दें।

प्रोफेसर एवं निदेषक (षैक्षणिक, अनुसंधान, प्रषिक्षण एवं नवाचार)